

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम:- द्वितीय वृत्त, मेरठपरिषद दिवस के आयोजन का दिनांक:-19.03.2015

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं०	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय-(तत्काल /7 दिन/ 15 दिन)	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1	महाराज अग्रसैन एजुकेशनल सोसाइटी (रजि०), 119 बाग, भटियारी, जी०टी० रोड, पालिका बाजार के पास गाजियाबाद, मो० नं०-09810046733	अनिर्माण शुल्क माफ करने व निर्माण समयावधि बढ़ाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग, गाज़ियाबाद के पत्रांक 7303/ स०प्र० गाजि० दिनांक 15.9.15 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण पर मुख्यालय स्तर से लिया जाना है।	
2	श्री उमेश गुप्ता, 142/5 फूलबाग कालोनी, मेरठ, मो० नं०-09410683540	मेरठ जोन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।		15 दिन	मेरठ जोन मेरठ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।	
3	श्रीमती मोना पत्नी श्री कोमल सिंह व अन्य, ए-25 प्रवेश विहार, मेरठ, मो० नं०-9719660582	डैवलेपमेन्ट चार्ज लेकर प्लॉट अर्जन मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, मेरठ के पत्रांक 1125/ जी-19/ 35 दिनांक 16.5.15 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि मेरठ महायोजना-2021 के मास्टर प्लान के अनुसार ग्राम काजीपुर स्थित खसरा सं०-35, 37, 38 से 36.00 मी० चौड़ी मास्टर प्लान सड़क मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित लोहिया नगर में निर्मित की जा चुकी 36.00 मी० चौड़ी सड़क से मिलायी जानी है। अतः इस 36.00 मी० मास्टर प्लान सड़क के एलाईन्मेंट में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है। तदानुसार आपके आवेदन पत्र	निस्तारित

					दिनांक 19.3.15 का निस्तारण किया जा रहा है।	
4	श्री करन सिंह, सरायकाजी गढ़ रोड, डा0 मेडिकल कॉलेज मेरठ, मो0 नं0-7520687282	दुकान के पंजीकरण हेतु जमा भुगतान वापिस करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिकांश अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8 मेरठ के पत्रांक 674/ जी-19/ 31 दिनांक 25.3.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि आपके पत्र दिनांक 13.3.15 के क्रम में बैंक ड्राफ्ट निरस्त करने हेतु प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक, जागृति विहार, मेरठ को लिखा जा चुका है। अतः बैंक ड्राफ्ट निरस्त करते हुए नियमानुसार आपको भुगतान करने की कार्यवाही बैंक द्वारा की जानी है। आपने अपने शिकायती पत्र दिनांक 19.3.15 में स्वयं लिखा है कि आपके द्वारा बैंक ड्राफ्ट श्री तुलसीदास पुत्र-स्व0 बुद्धा, निवासी सरायकाजी के खाते से बनवाकर जमा किया था, अतः आप श्री तुलसीदास से सम्पर्क कर बैंक से धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही करें। परिषद स्तर से इसमें कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तदनुसार आपकी शिकायत का निस्तारण किया जा रहा है।	निस्तारित
5	श्री बाबू राम शर्मा, सामने पी0एम0एस0 पार्क, दिल्ली रोड बड़ौत, मो0 नं0-9259385337	कस्बा बड़ौत पट्टी मेहर अन्दर हदूद स्थित खसरा संख्या-503 में से 0-4-6-6 बीघा पुख्रा भूमि अवैध रूप से आवास विकास परिषद, मेरठ के नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) आवास, मेरठ के पत्रांक 1262/ आठ-अ0जि0अ0 (भू0अ0) आवास, मेरठ दिनांक 11.4.16 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पत्रांक 1012/ आठ-अ0जि0अ0/ भू0अ0/ आवास/ मेरठ दिनांक 25.03.2015 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न की गयी है।	निस्तारित

6	श्री हाजी अब्बास, 14 कैला गाजियाबाद, मो0 नं0-09958545513	मुत्यु उपरान्त वारिसों के नामान्तरण के सम्बन्ध में।		15 दिन	द्वितीय वृत्त कार्यालय मेरठ के पत्रांक 2514/ जी-75/ 160 दिनांक 07.10.15 द्वारा उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाज़ियाबाद से सम्बन्धित आवेदक को सूचना प्रेषण का पत्र, जिसमें प्रकरण का निस्तारण किया गया है, वृत्त कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि तदानुसार सूचना सेवोत्तम प्रकोष्ठ, मुख्यालय को प्रेषित की जा सके।	
7	डा0 नरेन्द्र गुप्ता, डी-15, विवेक विहार, शाहदरा दिल्ली, मो0 नं0-08527170422	वसुन्धरा योजना की अर्जन मुक्त भूमि का कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में		15 दिन	परिषद दिवस दिनांक 21.1.16 में सप्तम वृत्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-01, गाज़ियाबाद ने आवेदक के पत्र दिनांक 19.3.15 के सन्दर्भ में अपने पत्रांक 1505/ दिनांक 19.10.15 द्वारा अवगत कराया है कि वसुन्धरा योजना, गाज़ियाबाद के अर्जन मुक्त भूमि के समायोजन सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण हेतु खण्ड के पत्रांक 382/पी0डी0/ 06 दिनांक 24.3.15 द्वारा प्रकरण उप-आवास आयुक्त (भूमि अर्जन) लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।	